न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 116/2022 (2022/336)

1. धनराज पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी बड़ा गुवाड़ा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
———वादी

♠ बनाम ♠

1. लक्ष्मीदेवी मीणा पत्नि स्व श्रीराम मीणा निवासी ग्राम नाईखेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. रामदेव पुत्र गोकुल जाति कुम्हार
3. रामस्वरूप पुत्र गोकुल जाति कुम्हार
4. कैलाश पुत्र छीतर जाति कुम्हार
5. घीसी पत्नि स्व रामप्रसाद जाति कुम्हार
6. पिंकी पुत्री स्व रामप्रसाद कुम्हार
7. सुनिता पुत्री स्व रामप्रसाद कुम्हार
8. अनिता पुत्री स्व रामप्रसाद कुम्हार
9. दिनेश पुत्र स्व रामप्रसाद कुम्हार जरिये माता घीसी पत्नि रामप्रसाद जाति कुम्हार
   समस्त 2 लगायत 9 निवासीगण केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

———— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 209 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री नवलकिशोर पारीक—वकील वादी
2. श्री मोहम्मद हारून रशीद — वकील प्रतिवादी संख्या 1
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी।

आदेश

दिनांक 20.06.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम वाके ग्राम/करबा केकड़ी तहसील केकडी के खाता संख्या नया—पुराना 2197—1004 में स्थित खसरा नम्बर 2591 रकबा 0.22 हैक्टर का संशोधित निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 18.04.2023 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकडी ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है—

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	धनराज पुत्र रामरतन जाति जाट सा.देह खातेदार	2591/1	0.0459	बारानी 1
		किता 1	कुल 0.0459 है0	
2	कैलाश पुत्र छीतर हि. 733/1741, घीसी पत्नि रामप्रसाद, पिंकी, अनिता, सुनिता, दिनेश पि. रामप्रसाद हि. 733/1741, रामदेव पुत्र गोकल हि. 46/1741, रामस्वरूप पुत्र गोकल हि. 46/1741 जाति कुम्हार प्रजापति सा.देह खातेदार, लक्ष्मी देवी पत्नि श्रीराम जाति मीणा हि. 183/1741 सा. नाईखेडा खातेदार	2591/2	0.1741	बारानी 1
		किता 1	रकबा 0.1741 है0	

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी केकड़ी)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 (2) का पेश कर प्रतिवादी संख्या 1 भंवरलाल का नाम वादपत्र से विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर लक्ष्मीदेवी को बतौर प्रतिवादी संख्या 1 के संयोजित किये जाने का निवेदन किया एवं साथ ही प्रार्थनापत्र वास्ते संशोधित वादपत्र को रिकॉर्ड पर लेने हेतु पेश किया जिन पर सुना जाकर स्वीकार किया गया व पत्रावली में संशोधित वादपत्र पेश हुआ जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के मध्य आराजी का विधिवत बंटवारा किया जाने में सहमति व स्वीकृति दी है।

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मे वादी व प्रतिवादी का अलग–अलग हिस्सा अलग–अलग रंगो से चिन्हित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि पक्षकार धनराज व कैलाश मौके पर उपस्थित रहे। बंटवारा प्रस्ताव के साथ संलग्न पक्षकारान को जारी सूचना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि शेष पक्षकारान बावजूद सूचना मौके पर अनुपस्थित रहे है। वकील पक्षकारान को सुना गया।

पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रतिवादी संख्या 1 लक्ष्मी देवी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी वास्ते बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति बावत पेश किया। आपत्ति पर वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय बावजूद सूचना के मौके पर अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 1 की आपत्ति खारिज की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं पक्षकारान की बहस पर मनन किया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। अतः वादवर्णित आराजीयात का तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता हैः–

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	धनराज पुत्र रामरतन जाति जाट सा.देह खातेदार	2591/1	0.0459	बारानी 1
		किता 1	कुल 0.0459 है0	
2	कैलाश पुत्र छीतर हि. 733/1741, धीसी पत्नि रामप्रसाद, पिंकी, अनिता, सुनिता, दिनेश पि. रामप्रसाद हि. 733/1741, रामदेव पुत्र गोकल हि. 46/1741, रामस्वरूप पुत्र गोकल हि. 46/1741 जाति कुम्हार प्रजापति सा.देह खातेदार, लक्ष्मी देवी पत्नि श्रीराम जाति मीणा हि. 183/1741 सा. नाईखेडा खातेदार	2591/2	0.1741	बारानी 1
		किता 1	रकबा 0.1741 है0	

तहसीलदार केकडी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना –अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:– विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. धनराज पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी बडा गुवाडा केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर ——वादी

♠ बनाम ♠

1. लक्ष्मीदेवी मीणा पत्नि स्व श्रीराम मीणा निवासी ग्राम नाईखेडा तहसील केकड़ी जिला अजमेर
2. रामदेव पुत्र गोकुल जाति कुम्हार
3. रामस्वरूप पुत्र गोकुल जाति कुम्हार
4. कैलाश पुत्र छीतर जाति कुम्हार
5. घीसी पत्नि स्व रामप्रसाद जाति कुम्हार
6. पिंकी पुत्री स्व रामप्रसाद कुम्हार
7. सुनिता पुत्री स्व रामप्रसाद कुम्हार
8. अनिता पुत्री स्व रामप्रसाद कुम्हार
9. दिनेश पुत्र स्व रामप्रसाद कुम्हार जरिये माता घीसी पत्नि रामप्रसाद जाति कुम्हार समस्त 2 लगायत 9 निवासीगण केकडी तहसील केकड़ी जिला अजमेर ——
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बरः– राजस्व वाद 116/2022 (2022/00336)

निर्णय दिनांकः– 20.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री नवलकिशोर पारीक वकील वादी, श्री मोहम्मद हारून वकील प्रतिवादी सं. 1, पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 53, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर ग्राम/करबा केकडी तहसील केकडी के खाता संख्या नया खाता संख्या 2197–1004 में दर्ज खसरा नम्बर 2591 रकबा 0.22 हैक्टर के निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 18.04.2023 की पालना में बटवारा प्रस्ताव तहसीलदार केकडी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है–

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1	धनराज पुत्र रामरतन जाति जाट सा.देह खातेदार	2591/1	0.0459	बारानी 1
		किता 1	कुल 0.0459 है0	
2	कैलाश पुत्र छीतर हि. 733/1741, घीसी पत्नि रामप्रसाद, पिंकी, अनिता, सुनिता, दिनेश पि. रामप्रसाद हि. 733/1741, रामदेव पुत्र गोकल हि. 46/1741, रामस्वरूप पुत्र गोकल हि. 46/1741 जाति कुम्हार प्रजापति सा.देह खातेदार, लक्ष्मी देवी पत्नि श्रीराम जाति मीणा हि. 183/1741 सा. नाईखेडा खातेदार	2591/2	0.1741	बारानी 1
		किता 1	रकबा 0.1741 है0	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आश्य का अंतिम डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज .... मुबलिक.. बाबत्..............................
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.. को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.06.2023 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा	——	——	बाबत इजराय हुक्मनामा	——	——
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान ...	0	0	मीजान	0	0

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner